N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0029 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/02/2025 15:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 07/02/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:10 बजे **Time To (समय तक):** 11:28 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/02/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/02/2025 15:18:16 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 410 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** POLICE ANVESHAN BHAWAN, PRATAPGARH

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHARAT KUMAR MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LT.KANHAIYA LAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHIKALAD, DEVGARH, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHIKALAD, DEVGARH, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KANHIYALAL		पिता:LAXMAN LAL RAIDAS	1. BEDMA,PRATAPGARH,RAJAST
2	SANJAY SINGH RATHORE		पिता:PARBHU SINGH RATHORE	1. HANUMAN COLONY,PARBATSAR,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA
3	BAPULAL NINAMA		पिता:MANGILAL NINAMA	1. LAMBADABRA,PRATAPGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कार्यवाही पुलिस महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2025 समय 03.10 पीएम पर परिवादी श्री भरत कुमार मीणा पिता स्व. कन्हैयालाल मीणा उम्र 32 साल निवासी चिकलाड थाना देवगढ जिला प्रतापगढ़ ने ब्यूरों कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया कि" निवेदन हैं कि मैं श्री भरत कुमार मीणा पिता स्व. कन्हैया लाल मीणा उम्र 32 साल निवासी चिकलाड थाना देवगढ जिला प्रतापगढ का रहने वाला हु। मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत रामपुरीया पं.सं. सुहागपुरा जिला प्रतापगढ में कार्यरत हुं। दिनांक 02.02.2025 से दिनांक 05.02.2025 तक सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम तथा दिनांक 06.02.2025 को ग्राम सभा का आयोजन का कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। दिनांक 02.02.2025 को दिन में श्री संजय डी.आर.पी. (जिला संसाधन व्यक्ति), बापुलाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत रामपुरीया, कन्हैयालाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत बोरीखेडा पं. स. धमोतर व रूपलाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत पहाडा पं.स. धरियावद, सामाजिक अंकेक्षण दल, जिला परिषद प्रतापगढ़ चारो मेरी गा्रम पंचायत रामपुरीया पर आये थे और उन्होने ग्राम पंचायत रामपुरीया द्वारा करवाये गये मनरेगा के विकास कार्यो से सम्बन्धित रिकार्ड व मौके पर जाकर विकास कार्य देखे। उसके बाद सभी गा्रम पंचायत पर थोडी देर के लिए रूके थे। उसके बाद श्री संजय डी.आर.पी. (जिला संसाधन व्यक्ति),सामाजिक अंकेक्षण दल, जिला परिषद प्रतापगढ़ व कन्हैयालाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत बोरीखेडा पं. स. धमोतर दोनो ने मुझे साईड में ले जाकर कहां कि काम तो सभी ठीक हैं पर खर्चा पानी देख लेना तो मैने कहां कि सर कितना क्या खर्चा पानी लगेगा तो संजय जी सर ने मुझे कहां कि 15 हजार रूपये लगेंगे तो मैने उसी समय सजंय जी सर को कहां कि सर 15 हजार तो ज्यादा हो जाते हैं, मेरी ग्राम पंचायत के सभी काम सही हैं फिर भी आप पैसे मांग रहे हो, तो संजय जी सर ने मुझे कहां की वा जो भी हो देख देना, तो मैने उस समय पैसे की व्यवस्था नही होना बताया। उसके बाद सभी लोग मेरी ग्राम पंचायत रामपुरीया से चले गये। दिनांक 04.02.2025 को बापुलाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत रामपुरीया ने मुझे फोन कर बताया कि आज संजय सर व कन्हैयालाल बी.आर.पी. अपनी ग्राम पंचायत रामपुरीया में राउण्ड पर आये हैं, आप ग्राम पंचायत रामपुरीया कार्यालय पर आओं। मैं उस समय ग्राम खजुरी में प्रधानमंत्री आवास की सर्वे कर रहा था। मैं कुछ समय बाद ही ग्राम पंचायत रामपुरीया पर आया तो वहां पर बापुलाल बी. आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) मिला, जिसने मुझे कहां कि अभी थोडी देर पहले ही संजय सर व कन्हैयालाल बी.आर.पी. यहां से निकल गये हैं। उसी समय बापुलाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ने मुझे कहां कि संजय सर व कन्हैयालाल बी. आर.पी. ने ग्राम पंचायत रामपुरीया के विकास कार्यो में फर्जी रिकवरी नही निकालने की ऐवज में 15 हजार रूपये आपसे मांग रहे हैं, तो मैने बापुलाल बी.आर.पी. को कहां की मेरी पंचायत का कार्य सही हैं, उनको रिकार्ड भी दिखा दिया हैं, फिर भी मेरे से पैसे क्यो मांग रहे हैं। कोई बात नही मैं फिर भी प्रतापगढ जाकर संजय सर व कन्हैयालाल बी.आर.पी. से मिलता हुं। श्री संजय डी.आर.पी. (जिला संसाधन व्यक्ति), बापुलाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत रामपुरीया, कन्हैयालाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत बोरीखेडा पं. स. धमोतर सामाजिक अंकेक्षण दल, जिला परिषद प्रतापगढ मेरे से 15,000/-(पन्द्रह हजार रूपये) अवैध रिश्वत राशि मांग रहे हैं। मैं श्री संजय डी.आर.पी. (जिला संसाधन व्यक्ति), बापुलाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत रामपुरीया, कन्हैयालाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत बोरीखेडा पं. स. धमोतर, सामाजिक अंकेक्षण दल, जिला परिषद प्रतापगढ़ को रिश्वत की राशि नही देना चाहता हु। उन्हे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरे आपस में कोई रंजीश व लडाई-झगडा नही हैं तथा ना हि हमारे आपस में कोई दुश्मनी हैं। हमारे आपस में कोई लेन-देन बकाया नही है। कानूनी कार्यवाही करने की

कृपा करें। " मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री भरत कुमार मीणा द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी की प्रस्तुत रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री दिलीप कुमार कानि नं 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर ब्यूरो का टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री हैमेन्द्र सिंह कानि 82 को सम्भलवाया तथा कानि का परिचय परिवादी श्री भरत कुमार मीणा से करवाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान कराकर परिवादी को ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकोर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया की श्री संजय जी सर तो मिलते नही है मै श्री बापुलाल जी से मोबाईल कॉल कर पूछ लेता हूं। दिनांक 04.02.2025 समय 04.04 पीएम इस समय परिवादी श्री भरत कुमार मीणा के मोबाईल नं [redacted] पर आरोपी श्री बापुलाल के मोबाईल नं [redacted] से कॉल आई जिसमें श्री बापुलाल द्वारा परिवादी को कहां कि " हां बापुलाल जी मै कह रहा हु की अपने रूपलाल जी से बात मत करना अपने कन्हैयालाल है के हां कन्हैयालाल जी सही है कहां मिलेगे कन्हैयालाल इत्यादी वार्ता की गई, उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। दिनांक 04.02.2025 समय 04.08 पीएम तत्पश्चात परिवादी श्री भरत कुमार मीणा के मोबाईल नं [redacted] पर आरोपी श्री बापुलाल के मोबाईल नं [redacted] से कॉल आई जिसमें श्री बापुलाल द्वारा परिवादी को कहां कि " धरियावाद नाके पर मिल जाओ, धरियावाद नाके पे मिलेगें वो इत्यादि वार्ता की गई,उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। दिनांक 04.02.2025 समय 04.20 पीएम इस समय परिवादी श्री भरत कुमार मीणा के मोबाईल नं [redacted] से आरोपी श्री कन्हैयालाल के मोबाईल नं [redacted] पर कॉल कराया गया तो परिवादी ने कहां " हां सर में यु कह रहा था के इधर आ गए थे धरियावद नाका मुझे वापस जाना था कही" जिस पर आरोपी ने कहां कि " चलो ठिक है दस मिनट में पहुंच रहे है इत्यादी वार्ता की गई,उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। दिनांक 04.02.2025 समय 04.22 पीएम इस समय परिवादी श्री भरत कुमार मीणा को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने की आवश्यक समझाईश कर कानि श्री हेमेन्द्र सिंह 82 को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ सुपूर्द कर परिवादी व कानि को निजी मोटरसाईकल से धरियावद नाका की ओर रवाना किया। दिनांक 04.02.2025 समय 05.20 पीएम इस समय परिवादी श्री भरत कुमार मीणा व श्री हैमेन्द्र सिह कानि मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए तथा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया की आपके निर्देशानुसार मैं व परिवादी ब्यूरो इकाई से रवाना होकर धरियावद नाका से कुछ दुरी पहले परिवादी के मोबाईल पर समय 04.28 पीएम पर आरोपी श्री कन्हैयालाल का कॉल आया जिसमें उसने परिवादी को उपसरपंच चाय नीमच नाका पर आने के लिए कहां गया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल लाउड स्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात मैं व परिवादी मौके से रवाना होकर उपसरपंच चायवाला नीमच नाका प्रतापगढ़ के आस पास पहूंचे जहां पर मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ, को आरोपी श्री कन्हैयालाल से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु चालु हालात में सुपुर्द कर उपसरपंच चायवाला नीमच नाका की ओर रवाना किया तथा मैं आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकीम रहा। करीब आधे घण्टे बाद परिवादी मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय ममोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया की श्री कन्हैयालाल बी.आर.पी से मेरी रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्ता हो चुकी है उन्होने मुझसे कहां की " अब डी.आर.पी. आ रहे हैं। कम से कम वो 30-30, 40 हजार से नीचे नी लेंगे एक-एक पंचायत से। कितने हैं अभी । 03 ये कर दो। हलो सर, सचिव साहब अभी 03 हजार रूपये दे रहे हैं। बाकी का बाद में करेंगे ऐसा, 03 हजार का बोल रहे हैं, 03 हजार हैं ऐसा। वार्ता के समय ही श्री कन्हैयालाल जी ने श्री संजय सिंह डीआरपी को कॉल लगाया जिसमें हलो सर, सचिव साहब अभी 03 हजार रूपये दे रहे हैं। बाकी का बाद में करेंगे ऐसा, 03 हजार का बोल रहे हैं, 03 हजार हैं ऐसा। श्री संजय सिंह डी.आर.पी ने कहां की तुम रहने दो, बाद में बात करते हैं।" इत्यादी वार्ता करते हुए बारह हजार रूपये की मांग की गई। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया तो परिवादी एवं आरोपी श्री कन्हैयालाल के मध्य आमने-सामनें एवं श्री कन्हैयालाल एवं श्री संजय के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्ता से रिश्वत राषि की मांग करना पाया गया जिससे श्री हैमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी ने भी कानि. द्वारा बताये गए तथ्यों की ताईद की है। तत्पश्चात परिवादी ने बताया की श्री कन्हैयालाल मेरे ग्राम पंचायत के बीआरपी नही है मेरे

पंचायत के बी.आर.पी श्री बापुलाल है और उन्होने ही कन्हैयालाल से मिलने के लिए कहां था अब श्री बापुलाल जी भी रिश्वत राशि की मांग कर सकते है क्योंकी वो मेरी ग्राम पंचायत के बी.आर.पी है। परिवादी के कथनानुसार श्री बापुलाल से भी रिश्वत राशि का मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को श्री बापुलाल बी.आर.पी अभी कहां मिलेगा पूछा तो परिवादी ने बताया कि अभी शाम हो गई है तो श्री बापुलाल नही मिलेंगे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कल दिनांक 05.02.2025 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने एवं गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को श्री हैमेन्द्र सिंह को सुपूर्द कर कार्यालय के मालखाने में रखवाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 05.02.2025 समय 10.45 एएम इस समय पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री भरत कुमार मीणा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यालय में उपस्थित श्री दिलीप कुमार कानि नं 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर ब्यूरो का टेप रिकॉर्डर मय पूर्व में दिनांक 04.02.2025 को उक्त कार्यवाही में रिकार्ड शुदा मेमोरी कार्ड श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 को सम्भलवाया तथा समय करीब 10.49 एएम पर परिवादी द्वारा अपने मोबाईल नं [redacted] से आरोपी श्री बापुलाल के मोबाईल नं [redacted] पर कॉल कर वार्ता कराई गई तो परिवादी द्वारा आरोपी श्री बापुलाल को पंचायत रामपुरीया आने के बारे में पूछा गया जिस पर आरोपी ने कहा की काम है थोडा तो आना ही है घण्टा भर लगेगा " इत्यादी वार्ता की गई। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवाकर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। दिनांक 05.02.2025 समय 01.00 पीएम इस समय परिवादी श्री भरत कुमार मीणा को आरोपी श्री बापुलाल बी.आर.पी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने की आवश्यक समझाईश कर कानि श्री हेमेन्द्र सिंह 82 को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ सुपूर्द कर परिवादी व कानि को निजी मोटरसाईकल से ग्राम पंचायत रामपुरीया की ओर रवाना किया। दिनांक 05.02.2025 समय 03.20 पीएम इस समय परिवादी श्री भरत कुमार मीणा व श्री हैमेन्द्र सिंह कानि मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेमोरी कार्ड लगा हुआ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए तथा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया की आपके निर्देशानुसार मैं व परिवादी ब्यूरो इकाई से रवाना होकर ग्राम पंचायत रामपुरीया के आस पास पहुंचकर परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ, को आरोपी श्री बापुलाल से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु चालु हालात में सुपूर्द कर ग्राम पंचायत रामपुरीया की ओर रवाना किया और मैं आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय ममोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालत में सुपुर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया की श्री बापुलाल बी.आर.पी. से मेरी रिश्वत राशि मांग सम्बन्धित वार्ता हो चुकी हैं और मौके पर मेरे मोबाईल की बेट्री लो हो जाने के कारण स्वीच ऑफ होने से श्री बापुलाल बी.आर.पी के साथ आये एक अन्य व्यक्ति के मोबाईल से मैने संजय सिंह डी.आर.पी. को कॉल किया तो संजय सिंह डी.आर.पी. ने बोला की आप वाट्सअप कॉल करो, फिर बापुलाल बी.आर.पी के साथ आये एक अन्य व्यक्ति के मोबाईल से जरिये वाट्सअप कॉल संजय सिंह डी.आर.पी. के मोबाईल पर कॉल किया तो संजय सिंह डी.आर.पी. ने 04 हजार रूपये कन्हैयालाल को देने के बारे में वार्ता हुई है जिसमें श्री संजय सिंह डी.आर.पी भी मुझसे कन्हैयालाल के मार्फत चार हजार रूपये लेने को सहमत हुए एवं मौके पर श्री बापुलाल द्वारा मुझसे तीन हजार रूपये मांग कर ग्रहण कर लिए। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया तो परिवादी एवं आरोपी श्री बापुलाल के मध्य आमने-सामनें एवं परिवादी श्री भरत कुमार एवं श्री संजय के मध्य जरिये व्हॉट्सएप कॉल पर हुई वार्ता से रिश्वत राषि की मांग करना पाया गया जिससे श्री हैमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी ने भी कानि. द्वारा बताये गए तथ्यों की ताईद की है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कल दिनांक 06.02.2025 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने एवं बकाया रिश्वत राशि 4,000/- रूपये की व्यवस्था करने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया की अभी मेरे पास आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के व्यवस्था नही है जैसे ही व्यवस्था होगी में ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को श्री हैमेन्द्र सिंह को सुपूर्द कर कार्यालय के मालखाने में रखवाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 06.02.2025 समय 12.16 पी.एम. इस समय श्री हेमेन्द्र सिंह कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अवगत कराया की परिवादी श्री भरत कुमार मीणा का मेरे मोबाईल पर कॉल आया है और उसने बताया की रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है मै कल प्रातः आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला प्रतापगढ़ को कल दिनांक 07.02.2025 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु तहरिर जारी कर श्री हैमेन्द्र सिंह कानि को गवाह पाबन्द कराने हेतु निर्देशित किया। दिनांक 07.02.2025 समय 08.00 एएम इस समय श्री पंकज कुमार कानि 551 एवं श्री हरभजन सिंह क.स. ब्यूरो इकाई बांसवाडा जो इमदाद हेतु ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित आए। दिनांक

07.02.2025 समय 8.20 ए.एम इस समय परिवादी श्री भरत कुमार मीणा ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया जिसने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार रिश्वत राशि 4,000/- रूपये और देना तय हुआ था, मांग के अनुसार मैं 4,000 हजार रूपये कि व्यवस्था करके ले आया हु । स्वतन्त्र गवाहो के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 07.02.2025 समय 8.30 एएम इस समय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला प्रतापगढ़ से दो स्वतन्त्र गवाह् उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री ऋषिकेश पालीवाल पिता गोवर्धन लाल जी पालीवाल उम्र 56 साल निवासी कुलथाना थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ हाल व्याख्याता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विध्यालय प्रतापगढ एवं श्री दीपक कुमावत पिता राधेश्याम जी कुमावत उम्र 40 साल निवासी अशोक नगर प्रतापगढ थाना कोतवाली प्रतापगढ जिला प्रतापगढ हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ होना बताया। तत्पश्चात दोनों गवाहों एवं परिवादी श्री भरत कुमार मीणा को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री भरत कुमार मीणा का आपस में परिचय कराया गया तथा दोनो गवाहन को ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की गई। तत्पश्चात श्री भरत कुमार मीणा की रिपोर्ट दिनांक 04-02-25 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनंाक 07.02.2025 समय 08.40 एएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यालय में उपस्थित श्री दिलीप कुमार कानि नं 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल टेप रिकोर्डर मय दिनांक 04.02.2025 व दिनांक 05.02.2025 को उक्त कार्यवाही में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता वाले मूल मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर ब्यूरो का टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 को सम्भलवाया तथा दिनांक 04.02.2025 को समय 04.04 पीएम, समय 04.08 पीएम परिवादी एवं आरोपी श्री बापुलाल बी.आर.पी. के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्ता तथा समय 04.20 पीएम, समय 04.28 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री कन्हैयालाल व श्री बापुलाल बी.आर.पी. के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्ता एवं समय 04.35 पीएम पर परिवादी एवं श्री कन्हैयालाल के मध्य आमने-सामने एवं आरोपी श्री संजय सिंह डीआरपी की मौके पर जरिये मोबाईल वाट्सअप कॉल पर परिवादी से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.02.2025 को समय 10.49 ए.एम., समय 02.09 पी.एम. पर परिवादी भरत कुमार मीणा एवं श्री कन्हैयालाल के मध्य आमने-सामने एवं आरोपी श्री संजय सिंह डीआरपी की मौके पर जरिये मोबाईल कॉल पर परिवादी से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री हैमेन्द्र सिंह् कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह् एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। उक्त कार्यवाही की हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 के मोबाईल से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोग्राफी करवाई गई। दिनांक 07.02.2025 समय 10.30 एएम इस समय उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री संजय सिंह डी.आर.पी. (जिला संसाधन व्यक्ति), श्री कन्हैयालाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति), श्री बापुलाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री भरत कुमार मीणा से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है- क्र.स. नोट का प्रकार नोटो के नम्बर 01 500/- रूपये का एक नोट 6 MS 862630 02 500/- रूपये का एक नोट 9 FU 651206 03 500/- रूपये का एक नोट 3 TR 149247 04 500/- रूपये का एक नोट 4 BS 459380 05 500/- रूपये का एक नोट 2 RA 134793 06 500/- रूपये का एक नोट 2 AC 225294 07 500/- रूपये का एक नोट 6 GB 220124 08 500/- रूपये का एक नोट 0 BK 553530 उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया, तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार कानि 319 से ब्यूरो के मालखाना से फिनोफ्थलीन की शिशी व दो प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलासो में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें से एक गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया, इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि06 की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। तत्पश्चात श्री दिलीप कुमार कानि. से दुसरे गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया, इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। तत्पश्चात श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. 06 द्वारा अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 4,000/- रूपये के समस्त नोटो के दोनों ओर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी

स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमावत से लिवाई गई, जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं पाई गयी। फिनोफ्थेलीन लगे हुए उक्त 500 रूपये के 08 नोट को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री भरत कुमार मीणा के पहने हुए पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोडते हुए रखवाये गए। तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार कानि 319 से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त प्रदर्शन की हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 के मोबाईल से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोग्राफी करवाई गई। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि06 से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री दिलीप कुमार कानि 319 को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या श्री हैमेन्द्र सिंह कानि के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, श्री गणेशप्रसाद हैड कानि, श्री दिलीप कुमार कानि व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं श्री गणेशप्रसाद हैड कानि को ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 07.02.2025 समय 10.45 एएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भरत कुमार मीणा ने बताया कि मैने अपने स्तर पर मालूमात किया तो श्री संजय सिंह डीआरपी अवैध राशि का लेन-देन श्री कन्हैयालाल के माध्यम से ही ज्यादातर करते है और आज भी श्री कन्हैयालाल बीआरपी द्वारा ही मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण करेगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल नं [redacted] से श्री कन्हैयालाल के मोबाईल [redacted] पर समय 10.49 एएम पर कॉल करवाया गया तो आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नही किया। तत्पश्चात समय करीब 10.54 एएम पर आरोपी श्री कन्हैयालाल का कॉल परिवादी के मोबाईल पर आया और परिवादी को रिश्वत राशि लेकर धरियावाद नाका पर बुलाया गया। तत्पश्चात समय 11.00 एएम परिवादी के मोबाईल पर अन्य व्यक्ति का कॉल आया जिस पर संदिग्ध नम्बर होने से उक्त कॉल को भी परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवा कर करवाई गई। तत्पश्चात समय 11.04 एएम पर आरोपी श्री कन्हैयालाल का कॉल परिवादी के मोबाईल पर आया और परिवादी को कहां गया की मै धरीयावाद नाके पर आ गया हुं कहां हो। उक्त वार्ताओ को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवा कर ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिकॉर्ड किया गया। दिनांक 07.02.2025 समय 11.10 एएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भरत कुमार मीणा को स्वयं की निजी स्कुटी व श्री हैमेन्द्र सिंह कानि को डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ एवं श्री पंकज कुमार कानि व श्री दिलीप कुमार कानि को निजी मोटर साईकल से एवं श्री ईश्वर लाल कानि को स्वयं की निजी मोटर साईकल से धरियावाद नाका के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से ब्यरो इकाई प्रतापगढ़ से धरियावाद नाका जिला प्रतापगढ़ की ओर रवाना हुए। दिनांक 07.02.2025 समय 11.15 एएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान धरियावाद नाका के आस पास पहूंचकर अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडा कर परिवादी श्री भरत कुमार मीणा को श्री हैमेन्द्र सिंह कानि. द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपुर्द कर धरियावाद नाका की ओर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। दिनांक 07.02.2025 समय 11.40 एएम दर्ज रहे कि समय 11.28 एएम पर परिवादी श्री भरत कुमार मीणा ने राजस्थान पुलिस अन्वेक्षण भवन जिला प्रतापगढ़ के बाहर चाय की थडी से अपने सिर पर हाथ फैरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया गया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाब्ता परिवादी के पास पहूंचे, तो परिवादी ने अपने पास खडे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया की ये ही श्री कन्हैयालाल बीआरपी है जिन्होने अभी-अभी मुझसे 4,000/- रूपये रिश्वती राशि ग्रहण कर अपने पहने हुए जैकेट की आगे

की बाई जैब में रखे है। परिवादी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालात में प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित श्री हैमेन्द्र सिंह कानि को सम्भलवाया गया। उक्त संवाद के दौरान एक मारूती वेगनआर कार चाय की थडी के सामने आकर रूकी जिसको देख कर तुरन्त परिवादी ने कहा कि ये कार श्री संजय सिंह डीआरपी की है और वह चालक सीट पर बैठा है जिस पर परिवादी व ब्यूरो जाब्ता द्वारा उक्त कार के पास जाने लगे तो कार चालक कार को तेजी से आगे बडाने का प्रयास करने लगा तब ब्यूरो जाब्ता द्वारा कार का दरवाजा खुलवाकर कार की चाबी बन्द कर दि गई और उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम संजय सिंह बताया। उक्त घटनाक्रम के दौरान मौके पर काफी भीड एकत्रित हो जाने से डिटेन शुदा आरोपी श्री कन्हैयालाल बीआरपी को ब्यूरो जाब्ता द्वारा दोनो हाथों के कलाई के उपर से उसी अवस्था में पकड कर व श्री संजय सिंह डीआरपी को यथा स्थिती में राजस्थान पुलिस अन्वेक्षण भवन के डाईनिंग हॉल में ले जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमाराहियान का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उक्त दोनो का बारी बारी से परिचय लिया गया तो एक व्यक्ति अपना नाम कन्हैयालाल रैदास पुत्र श्री लक्ष्मण लाल रैदास उम्र 25 वर्ष निवासी बेडमा पुलिस थाना अरनोद जिला प्रतापगढ हाल ब्लॉक संसाधन व्यक्ति सामाजिक लेखा परीक्षा एवं जवाबदेही सोसायटी जयपुर एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम संजय सिंह राठौड पुत्र श्री प्रभु सिंह राठौड उम्र 32 वर्ष जाति राजपूत निवासी हनुमान कॉलोनी परबतसर जिला नागौर हाल जिला संसाधन व्यक्ति, सामाजिक लेखा परीक्षा एवं जवाबदेही सोसायटी जयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री कन्हैयालाल से रिश्वत राशि 4,000/- रूपये परिवादी से ग्रहण करने के सम्बन्ध पूछा गया तो आरोपी श्री कन्हैयालाल ने बताया की मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है जिस पर पास ही खडे परिवादी ने बताया की श्री कन्हैयालाल झुठ बोल रहा है श्री बापुलाल बीआरपी व अन्य द्वारा मेरी ग्राम पंचायत रामपुरीया की ऑडिट की थी और उसके बाद श्री संजय सिंह डीआरपी भी मेरी ग्राम पंचायत रामपुरीया में आए थे और मेरी ग्राम पंचायत रामपुरीया में मनरेगा के विकास कार्यो में रिकवरी नही निकालने की एवज में श्री संजय सिंह, श्री बापुलाल व श्री कन्हैयालाल द्वारा मुझसे रिश्वत राशि की मांग की गई थी तथा आज बकाया रिश्वत राशि 4,000/- रूपये इन्होने मुझसे चाय की थडी पर ग्रहण कर अपने पहने हुए जैकेट के आगे की बाई जैब में रखे थे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री संजय सिंह डीआरपी से श्री कन्हैयालाल द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बताया की मैं पूरे जिले की ग्राम पंचायतों के जिला संसाधन व्यक्ति के पद पर हू मेरा कार्य ग्राम पंचायतो में ऑडिट करने वाले बीआरपी दल का सुपरविजन करना है मुझे कन्हैयालाल द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में कोई जानकारी नही है। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वतंत्र गवाह श्री ऋषिकेश पालीवाल से आरोपी की जामातलाशी लिवाई गई तथा आरोपी के पहने हुए जैकेट की भी बडी गहनता से तलाशी लिवाई गई तो उक्त राशि आरोपी के पास से बरामद नही हुई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री कन्हैयालाल को तसल्ली देकर रिश्वत राशि चार हजार रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी श्री कन्हैयालाल द्वारा रिश्वत राशि चार हजार रूपये के बारे में अनभिज्ञता जताने लगा। आरोपी श्री कन्हैयालाल से रिश्वत राशि बरामदगी के काफी प्रयास किये गए परन्तु आरोपी श्री कन्हैयालाल पूर्व कहे कथनों पर ही तटस्थ रहा। अब तक रिश्वत राशि बरामदगी के काफी प्रयासो के बावजुद आरोपी श्री कन्हैयालाल से रिश्वत राशि बरामद नही होने से आरोपी श्री कन्हैयालाल द्वारा रिश्वती राशि चार हजार रूपये को खुर्द बुर्द करना पूर्णतः स्पष्ट है। जो की दोनो ही आरोपीगणों द्वारा साक्ष्य को मिटाने की मंशा को जाहिर करता है। जिस पर श्री संजय सिंह डीआरपी को पुलिस अन्वेक्षण भवन के डाईनिंग हॉल के पास वाले कक्ष में बैठाकर श्री पंकज कुमार कानि व श्री हरभजन सिंह क.स को निगरानी हेतु पाबन्द किया। तत्पश्चात आरोपी श्री कन्हैयालाल द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने की स्पष्टता हेतु अग्रिम प्रकियानुसार आरोपी श्री कन्हैयालाल के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री दिलीप कुमार कानि. से प्राईवेट वाहन टैक्सी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री दिलीप कुमार कानि से ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर अन्वेक्षण भवन की मैस से पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कन्हैयालाल के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिलीप कुमार कानि. से कराये जाकर मार्क RH-1 एवं RH -2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कन्हैयालाल के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिलीप कुमार कानि. से कराये जाकर मार्क LH -1 एवं LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री कन्हैयालाल के पहने हुए जैकेट के आगे की बाई जैब जहां आरोपी द्वारा रिश्वती राशि रखी गई, का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के जैकेट को ससम्मान उतरवाया जाकर श्री दिलीप कुमार कानि से ट्रेप बॉक्स में से एक नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर अन्वेक्षण भवन की मैस से पानी मंगवाया जाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने

स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कन्हैयालाल के जैकेट के आगे की बाई जैब को उल्टा करवाकर उक्त रंगहीन घोल में श्री दिलीप कुमार कानि नं. 319 द्वारा डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री दिलीप कुमार कानि. से कराये जाकर मार्क J-1 एवं J-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त जैकेट की जेब को सुखाकर जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क J अंकित कर कपडे की थैली को सिलचिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त धोवन की प्रक्रिया से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि आरोपी श्री कन्हैयालाल द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि ग्रहण की गई है। उक्त कार्यवाही की हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 के मोबाईल से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोग्राफी करवाई गई। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ही आरोपी श्री कन्हैयालाल को पुनः तसल्ली देते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछा कि आप द्वारा परिवादी श्री भरत कुमार मीणा से रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की है जिस पर आरोपी श्री कन्हैयालाल हाथा जोडी करने लगा और कहा की साहब गलती हो गई। मै तो श्री संजय सिंह डीआरपी साहब के साथ काम करता हु और उनके साथ ग्राम पंचायतो की ऑडिटों में सहयोग देता हु। मै और संजय जी सर एक साथ किराये के घर में रहते है वो समस्त जिले के बीआरपीयों द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट की संविक्षा करते है जिस भी ग्राम पंचायत की ऑडिट के दौरान कमीयां आती है तो उस ग्राम पंचायत के सम्बन्धित कार्मिको से उचित रिपोर्ट बनाने के एवज में अवैध राशि लेते है वह मुझे किसी भी व्यक्ति के मोबाईल नम्बर देते है और कहते है की ये व्यक्ति तुझे रूपये देगा जो की तु मेरे पास ले आना इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नही है ना ही मुझे उस राशि में कोई हिस्सा दिया जाता है मै तो उनके अधिनस्थ बीआरपी हु इसलिए उनके कहे अनुसार कार्य करना होता है। आज भी मैने संजय सिंह डी.आर.पी. के कहने पर भरत कुमार जी वी.डी.ओ. से चार हजारू रूपये लिए हैं, मैने मेरी पहनी हुई जेकेट की जेब में रखे थे लेकिन हडबडाहट के कारण पैसे कहां गये मुझे पता नही हैं। तत्पश्चात दोनो ही आरोपीगणो से प्रकरण के अन्य आरोपी श्री बापुलाल बीआरपी के बारे में पूछा तो दोनो ने ही अनभिज्ञता जाहिर की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री संजय सिंह राठौड डी.आर.पी. जिस कार वेगनआर आर.जे. 20 सी.ए. 9823 को लेकर मौके पर उपस्थित हुआ उस कार की स्वतन्त्र गवाहानों के समक्ष तलाशी ली गई तो वाहन में आरोपी श्री संजय सिंह राठोड का परिचय पत्र जिस पर नाम संजय सिंह राठोड व रजिस्ट्रेशन क्रमांक RJB2202324-25 सहित विवरण अंकित हैं, तथा कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलक्टर प्रतापगढ के कार्यालय पत्रांक 107 दिनांक 28.01.2025 एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलक्टर प्रतापगढ के कार्यालय पत्रांक 104 दिनांक 28.01.2025 का मूल पत्र प्राप्त हुआ, जिसे शामील पत्रावली किया गया । हालात उच्चाधिकारीयों को अवगत कराये गए। दिनांक 07.02.2025 समय 01.00 पीएम इस समय आरोपी से राशि बरामद नही होने और आरोपीगणों द्वारा रिश्वती राशि के सम्बन्ध में स्पष्ट जवाब नही देने से दोनो आरोपीगणों को श्री ईश्वरलाल कानि की निगरानी में रखकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाब्ता द्वारा उक्त घटनास्थल अन्वेक्षण भवन के बाहर चाय की थडी पर जाकर रिश्वती राशि के सम्बन्ध में तलाशी की गई एवं आस पास राहगिरों से एवं थडी संचालक से भी गहनता से पूछताछ की गई परन्तु अनभिज्ञता जाहिर की गई। तत्पश्चात समय 01.20 पीएम पर उक्त कार्यवाही का घटनास्थल नक्शा मौका परिवादी की निशांदेही में स्वतंत्र गवाह के समक्ष मूर्तिब किया गया जिसकी फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 07.02.2025 समय 01.40 पीएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान घटनास्थल का निरीक्षण कर पुनः राजस्थान पुलिस अन्वेक्षण भवन पहूंचें। आरोपी कन्हैयालाल से रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बार-बार यही बताया कि उस समय मौके पर हडबडाहट के कारण पैसे कहां गये मुझे पता नही हैं। मौके पर अब कोई कार्यवाही शेष नही है तथा मौके पर हुई कार्यवाही से आस-पास काफी भीड एकत्रित होने से अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ पर किया जाना उचित है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी एवं दोनो डीटेन शुदा आरोपीगण एवं स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यगण आवश्यक संसाधन मय प्रकरण में जब्त शुदा आर्टिकल इत्यादी व ट्रेप बॉक्स के अपने-अपने वाहनों से ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुए। दिनांक 07.02.2025 समय 01.50 पीएम इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व डिटेन शुदा दोनो आरोपीगण उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ पहूंचां एवं प्रकरण में आरोपी श्री बापुलाल बीआरपी के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग की गई दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से तीन हजार रूपये रिश्वती राशि ग्रहण की गई थी उक्त वार्ता ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई उक्त आरोपी के तलाश हेतु ब्यूरो इकाई के श्री गणेश्प्रसाद हैड कानि एवं श्री ईश्वर लाल कानि को रवाना किया गया एवं ब्यूरो कार्यालय पर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। दिनांक 07.02.2025 समय 02.00 पीएम इस समय दिनांक 05.02.2025 को समय 10.49 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री बापुलाल बीआरपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं समय 02.09 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री बापुलाल बीआरपी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व आरोपी श्री संजय सिंह डीआरपी व आरोपी श्री बापुलाल व परिवादी की जरिये व्हॉटसएप कॉल हुई वार्ता जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को पृथक-पृथक चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री हेमेन्द्र

सिंह कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 07.02.2025 समय 02.10 पी.एम. इस समय ईश्वर लाल कानि नं. 320 को आरोपीगणों द्वारा पुलिस अन्वेक्षण भवन प्रतापगढ के बाहर बनी हुई चाय की घुमटी पर रिश्वत राशि का लेन-देन करने पर प्रभारी अभय कमाण्ड सेन्टर कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय जिला प्रतापगढ (राज.) से पुलिस अन्वेक्षण भवन प्रतापगढ के बाहर लगे हुये सी.सी.टी.वी. की विडियों रिकार्डीग ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाई गई पेनड्राईव में अपलोड करा प्राप्त करने हेतु मय रिपोर्ट के रवाना किया। दिनांक 07.02.2025 समय 03.50 पी.एम. इस समय ईश्वर लाल कानि नं. 320 भ्र.नि.ब्यूरो ने उपस्थित ब्यूरो हो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रभारी अभय कमाण्ड सेन्टर कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय जिला प्रतापगढ (राज.) द्वारा पुलिस अन्वेक्षण भवन प्रतापगढ के बाहर लगे हुये सी.सी.टी.वी. की विडियों रिकार्डीग ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाई गई पेनड्राईव में अपलोड करा प्राप्त कर लाकर पेश की, जिसे कार्यवाही में शामील किया गया। दिनांक 07.02.2025 समय 04.00 पीएम इस समय आज दिनांक 07.02.2025 समय 10.49 एएम पर कॉल करवाया गया तो आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नही किया। तत्पश्चात समय करीब 10.54 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री कन्हैयालाल के मध्य मोबाईल वार्ता, समय 11.00 एएम पर परिवादी के मोबाईल पर अन्य व्यक्ति का कॉल, 11.04 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री कन्हैयालाल के मध्य मोबाईल वार्ता तथा समय 11.18 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री कन्हैयालाल के मध्य आमने-सामने रिश्वत लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। दर्ज रहे की समय 10.49 एएम आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नही करने एवं समय 11.00 पर परिवादी के मोबाईल पर अन्य किसी व्यक्ति के कॉल आने पर उक्त दोनो वार्ताओ की फर्द मूर्तिब की गई। समय 11.54 एएम, 11.04 एएम परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं 11.18 एएम पर परिवादी व आरोपी श्री कन्हैयालाल के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को पृथक-पृथक चलाकर सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री हेमेन्द्र सिंह कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 07.02.2025 समय 05.00 पीएम इस समय श्री गणेशप्रसाद हैड कानि एवं श्री ईश्वर लाल कानि ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आए एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया की श्री बापुलाल बीआरपी की तलाश हेतु हम ग्राम पंचायत रामपुरीया एवं लाम्बाडाबरा उसके निवास स्थान पर तलाश की गई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने स्तर पर मालूमात किया गया परन्तु आरोपी श्री बापुलाल को एसीबी की कार्यवाही की भनक लग जाने से रूहपौश हो गया। फिर भी आरोपी श्री बापुलाल के सम्बन्ध में तलाश हेतु प्रयास किये जावेगे। दिनांक 07.02.2025 समय 05.30 पीएम इस समय आरोपी श्री कन्हैयालाल बीआरपी को जरिये पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 07.02.2025 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-2 दिनांक 07.02.2025 दिया गया तो आरोपी ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में पेश करूंगा। दोनो पत्रों पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 07.02.2025 समय 05.50 पीएम इस समय आरोपी श्री संजय सिंह राठौड डीआरपी को जरिये पत्रांक एसपीएल-3 दिनांक 07.02.2025 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक एसपीएल-4 दिनांक 07.02.2025 दिया गया तो आरोपी ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है। दिनांक 07.02.2025 समय 06.10 पीएम इस समय दिनांक 04.02.2025, दिनांक 05.02.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन आमने-सामने व मोबाईल वर्ताए एवं दिनांक 07.02.2025 को हुई रिश्वत लेन-देन वार्ताए जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 से कनेक्ट करा वार्तालाप की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल पेनड्राईव एचपी बरंग सीलवर 16 जी.बी. जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव एचपी बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 07.02.2025 समय 06.50 पीएम उक्त कार्यवाही के दौरान श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 के मोबाईल टेक्नो पोवा के अन्दर एक नया मेमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवाई गई थी आरोपीगणों के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री हेमेन्द्र सिंह कानि 82 के मोबाईल टेक्नो पोवा मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री हेमेन्द्र सिंह से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की एक डब पेनड्राईव तैयार की गयी। डब पेनड्राईव एचपी बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड श्री हेमेन्द्र सिंह कानि के मोबाईल से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 32 जी.बी. जिस पर सेनडिस्क लिखा हुआ है,जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क M अंकित कर जब्त किया गया।

दिनांक 07.02.2025 समय 07.40 पीएम इस समय दिनांक 04.02.2025, दिनांक 05.02.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन आमने-सामने व मोबाईल वर्ताए एवं दिनांक 07.02.2025 को हुई रिश्वत लेन-देन जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला 16 जी.बी. जिस पर ईवीएम लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क M-1 अंकित कर जब्त किया गया। दिनांक 07.02.2025 समय 08.30 पीएम इस समय आरोपी श्री कन्हैयालाल रैदास को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके जीजाजी श्री गोपाल रैदास को जरिये दूरभाष दी गई। दिनांक 07.02.2025 समय 09.00 पीएम इस समय आरोपी श्री संजय सिंह राठौड को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके पिताजी श्री प्रभु सिंह को जरिये दूरभाष दी गई। आरोपीगण (1) श्री कन्हैया लाल पिता लक्ष्मण लाल रैदास जाति रैदास उम्र 25 वर्ष निवासी बेडमा पुलिस थाना अरनोद जिला प्रतापगढ हाल ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर । (2) श्री सजंय सिह राठौड पिता श्री प्रभु सिह राठौड उम्र 32 साल जाति राजपुत निवासी हनुमान कॉलोनी परबतसर जिला नागौर हाल डी.आर.पी. (जिला संसाधन व्यक्ति) सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर को श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या 01 उदयपुर के समक्ष पेश किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगणो को न्यायिक हिरासत में भैजा गया। तथा अन्य आरोपी श्री बापुलाल बी.आर.पी. (ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत रामपुरीया जिला प्रतापगढ रूहपोश है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपीगण संविदाकर्मी होने से खाना तलाशी नही ली गई । इस प्रकार प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जरिये मोबाईल वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफथेलीन पाउडर फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि प्रयास एवं फर्द नक्शा मौका घटना स्थल तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि aआरोपीगण (1) श्री कन्हैया लाल पिता लक्ष्मण लाल रैदास जाति रैदास उम्र 25 वर्ष निवासी बेडमा पुलिस थाना अरनोद जिला प्रतापगढ हाल ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर । (2) श्री सजंय सिह राठौड पिता श्री प्रभु सिह राठौड उम्र 32 साल जाति राजपुत निवासी हनुमान कॉलोनी परबतसर जिला नागौर हाल डी.आर.पी. (जिला संसाधन व्यक्ति) सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर । (3) श्री बापुलाल निनामा पिता मांगी लाल निनामा जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी लाम्बाडाबरा जिला प्रतापगढ हाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत रामपुरीया प्रतापगढ, सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री भरत कुमार मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रामपुरीया से ग्राम पंचायत रामपुरीया के विकास कार्यो में रिकवरी नही निकालने की ऐवज में दौराने सत्यापन दिनांक 04.02.2025 को बापुलाल बी. आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) द्वारा 3000/रू नकद प्राप्त करना एवं दिनांक 05.02.2025 को श्री सजंय सिह राठौड जिला संसाधन व्यक्ति के कहने पर श्री कन्हैया लाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) द्वारा 3000/रू नकद प्राप्त करना एवं दिनांक 07.02.2025 को रिश्वती राशि 4000/रू पुलिस अन्वेक्षण भवन प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ के बाहर बनी चाय की गुमटी पर रिष्वत राषि परिवादी श्री भरत कुमार मीणा से ग्रहण करना पाया जाने से आरोपी श्री कन्हैया लाल पिता लक्ष्मण लाल रैदास जाति रैदास उम्र 25 वर्ष निSवासी बेडमा पुलिस थाना अरनोद जिला प्रतापगढ हाल ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2), 238 बी.एन.एस 2023 एवं आरोपी 02 श्री सजंय सिह राठौड पिता श्री प्रभु सिह राठौड उम्र 32 साल जाति राजपुत निवासी हनुमान कॉलोनी परबतसर जिला नागौर हाल डी.आर.पी. (जिला संसाधन व्यक्ति) सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बी.एन.एस 2023 तथा आरोपी 03 श्री बापुलाल निनामा पिता मांगी लाल निनामा जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी लाम्बाडाबरा जिला प्रतापगढ हाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत रामपुरीया प्रतापगढ, सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बी.एन.एस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय

(विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़।.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2), 238 बी.एन.एस 2023 में आरोपीगण (1) श्री कन्हैया लाल पिता लक्ष्मण लाल रैदास जाति रैदास उम्र 25 वर्ष निवासी बेडमा पुलिस थाना अरनोद जिला प्रतापगढ हाल ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर ,(2) श्री सजंय सिह राठौड पिता श्री प्रभु सिह राठौड उम्र 32 साल जाति राजपुत निवासी हनुमान कॉलोनी परबतसर जिला नागौर हाल डी. आर.पी. (जिला संसाधन व्यक्ति) सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर एवं (3) श्री बापुलाल निनामा पिता मांगी लाल निनामा जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी लाम्बाडाबरा जिला प्रतापगढ हाल बी.आर.पी.(ब्लॉक संसाधन व्यक्ति) ग्राम पंचायत रामपुरीया प्रतापगढ, सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एंव पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,चित्तौडगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 155 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 141-45 दिनांक 10-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग,(प्रशासनिक विभाग)राजस्थान, जयपुर।4-निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]2/2025 1[illegible]4

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2000				
2	Male	14/10/1991				
3	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)